मुरलीधर बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना पत्र 76 / 2021

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 76 / 2021

मुरलीधर गुर्जर पुत्र लच्छूराम जाति गूजर निवासी वार्ड नम्बर 25 ढाणी वक्सिराम वाली शाहपुरा जिला जयपुर ।

......प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये लोक अभियोजक

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन संख्या टाटा 407 रजि0 नम्बर आर जे-14- जी बी 7756 अन्तर्गत धारा गोवंशीय अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री पंकज कुमार, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय

दिनांक 16.02.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी रजिस्टर्ड वाहन संख्या टाटा 407 नम्बर आर जे 14 जी बी 7756 का मालिक है तथा वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी का उक्त वाहन दिनांक 08.03.2021 को सडवा मोड स्थित हेरिटेज होटल जयपुर से चोरी हो गया जिसकी एफ.आई.आर 230 / 2021 थाना ब्रहमपुरी जयपुर में दर्ज कराई थी। प्रार्थी की चोरी गई गाडी को थाना सीकरी द्वारा दिनांक 16.03.2021 को गोवंश से भरा हुआ जब्त किया गया था। वाहन पुलिस थाना परिसर सीकरी में खुले में खडा हुआ है, जिसके खराब होने का पूर्ण अन्देशा है। प्रार्थी न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने के लिए तैयार है तथा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन संख्या टाटा 407 नम्बर आर जे 14 जी बी 7756 को सुपुर्दगी दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना सीकरी से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना सीकरी जिला भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 06.01.2022 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये बताया कि जब्तशुदा वाहन संख्या टाटा 407 नम्बर आर जे 14 जी बी 7756 का स्वामी है तथा सुपुर्दगी में लेने का हकदार है। प्रार्थी का वाहन दिनांक 08.03.201 को चोरी हुई थी जिसकी एफ.आई. आर 230/2021 पुलिस थाना ब्रहमपुरी जयपुर में दर्ज कराई गई थी। दिनांक 16.03.2021 को पुलिस थाना सीकरी द्वारा उक्त गाडी को गोवंश से भरा हुआ जब्त किया गया था। वाहन पुलिस थाना परिसर सीकरी में खुले में खडा हुआ है जिसके खराब होने का पूर्ण अन्देशा है। प्रार्थी का उक्त कथित अपराध से कोई सबंध व सरोकार नही है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क दिया है कि वाहन में गौवंश को परिवहन करने का कोई परमिट या रवन्ना नही था। वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कृत्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है जो कि क्षमा किये जाने योग्य नही है। वाहन का उपयोग अवैध गौकशी में लिप्त होना पाया गया है, जिसमें 9 गौवंश को क्रूरता पूर्ण ठूंस–ठूस कर ऊपर नीचे भरे हुये बरामद किया गया है। यह समाज में गौवंश के विरूद्व किया अपराध की श्रेणी में आता है। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना सीकरी की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना सीकरी ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि एक वाहन संख्या टाटा 407 में गौवंश भरकर ले जाया जा रहा है। जिसकी दौराने जांच मौके पर 09 गोवंश को क्रूरता पूर्ण ढंग से ठूस ठूस कर ऊपर नीचे भरा हुआ पाया जिसमें से 01 गाय मृत थी। जब्त वाहन का उपयोग गौवंश की अवैध तस्करी व अवैध परिवहन हेतु किया जा रहा था। वाहन का गौवंश का परमिट व रवन्ना नही था। प्रकरण में वाहन संख्या टाटा 407 नम्बर आर जे 14 जी बी 7756 के मालिक ने अवगत कराया है कि उक्त वाहन दिनांक 08.03.2021 सडवा मोड स्थित हेरिटेज होटल जयपुर से चोरी हो गया जिसकी दिनांक 08.03.2021 को एफ.आई.आर संख्या 230/2021 पुलिस थाना ब्रह्मपुरी जयपुर में दर्ज कराई है। प्रकरण में वाहन स्वामी द्वारा वाहन चोरी की रिपोर्ट कराई गई जिसमें एफ.आई.आर रिपोर्ट अनुसार तफ्तीश जैरकार है। दिनांक

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

...2021 को पुलिस थाना सीकरी द्वारा उक्त गाडी को गोवंश से भरा हुआ जब्त किया गया है। जिसकी एफ.आई.आर. संख्या 121/2021 दिनांक 16.03.2021 को पुलिस थाना सीकरी में दर्ज हुई है। इससे प्रथम दृष्टया प्रार्थी का उक्त वाहन चोरी होने एवम् गाडी के अन्तरिम सुपुर्दगी व गाडी की आवश्यकता होने पर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर नरम रूख अपनाते हुए वाहन को रिलीज किया जाना उचित रहेगा। इस प्रकार राजस्थान गोवंशीध पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 2018 के नियम 6क की उपधारा 1 व 3 में वर्णित प्रावधानुसार यदि प्रार्थी वाहन की बाजार मूल्य की दर से जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा इस दशा में पेश करे कि वह वाहन की स्थिति को खुर्द–बुर्द नही करेगा, उसकी आकृति में कोई परिवर्तन आदि नही करेगा तथा न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर न्यायालय के समक्ष स्वंय के खर्चे पर उपस्थित करेगा। जिसकी पालना में प्रार्थी सुपुर्दगार द्वारा वाहन का बाजार मूल्य 1,55,000/–(बीमा इंश्यूरेन्स अनुसार) मुरलीधर पुत्र लच्छूराम जाति गुर्जर निवासी वार्ड न0 25 ढाणी बक्सीरामजी वाली पुलिस थाना शाहपुरा जयपुर जिला जयपुर द्वारा 2,00,000/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सुपुर्दगीनामा तथा इसी कदर जमानतनामा श्री कानाराम गुर्जर पुत्र लच्छूराम गुर्जर वार्ड न0 25 ढाणी बक्सीराम जी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पेश किया जिनकी पहचान श्री पंकज कुमार एडवोकेट ने की गई जो कि वाद तस्दीक शामिल मिसिल किया गया। इन शर्तो के साथ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन स्वीकार किये जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत् वाहन संख्या टाटा 407 नम्बर आर जे 14 जी बी 7756 स्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी सीकरी (भरतपुर) को तहरीर जारी हो कि प्रकरण धारा 5/8 राजस्थान गोवंशीध पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) 1995 एफ.आई.आर. संख्या 121/2021 थाना सीकरी सरकार बनाम अज्ञात में जब्त वाहन संख्या टाटा 407 नम्बर आर जे 14 जी बी 7756 किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो सुपुर्दगार मुरलीधर पुत्र लच्छूराम जाति गुर्जर निवासी वार्ड न0 25 ढाणी बक्सीरामजी वाली पुलिस थाना शाहपुरा जयपुर जिला जयपुर को सुपुर्दगी में दिया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर